285/283 की खसरा नम्बर 118 की रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 120 की 13 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 524 की 11 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 741 की 12 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 810 की 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 813 की 02 बीघा 12 बिस्वा कुल 06 किता की 51 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के कब्जे काश्त एवं खातेदार की भूमि है । उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में चली आ रही है । उक्त भूमि में वादी क्रम 1 व वादीगण क्रम 2 लगायत 4 का 1/3 – 1/3 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3 निहित है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन करवाकर वादीगण के खाते में दर्ज भूमि का पृथक लगान कायम किया जावे ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी क्रम 1 को 1/3 हिस्से एवं वादी क्रम 2 से 4 को 1/3 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 का पृथक से खाते दर्ज किया जाकर पृथक लगान कायम किया जावे तथा हिस्सा मुताबिक वादीगण को कब्जा दिलाया जावे ।

4. प्रतिवादीगण क्रम 1, 3 व 4 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादीगण का वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2017 के द्वारा वाद वादी अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज करते हुए प्रतिवादी क्रम 1, 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अंशतः स्वीकार वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नहीं किया कि वादपत्र में वादीगण द्वारा वाद को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज करवाने तथा अपने पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य को खण्डित करने का कोई आधार न होते हुए भी प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम को अंशतः स्वीकार किया गया तथा मुताबिक काउन्टर क्लेम वादग्रस्त आराजी का विभाजन नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात का सही रूप से विवेचन नहीं किया है । तनकी नं0 01 को साबित करने का भार वादी पर होने तथा वादीगण द्वारा अपने वाद को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज करवाने पर उक्त तनकी भी खारिज योग्य थी तथा तनकी नं0 01 के खारिज होने के बाद काउन्टर क्लेम के आधार पर कायम की गई तनकीयात का विधिवत विवेचन काउन्टर क्लेम पर आयी प्रतिवादीगण की साक्ष्य के आधार पर होना चाहिए था जिसका कोई खण्डन पत्रावली में उपलब्ध नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य को दरकिनार करते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । गणेश को मृतक हीरालाल ने गोदपुत्र स्वीकार किया और इस आशय का एक दस्तावेज तहरीर किया । उक्त दस्तावेज कोई बख्शीशनामा न होकर वसीयतनामा है । वसीयत का प्रारूप अपेक्षित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 4 को न देने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने हीरा के हिस्से को प्रतिवादी क्रम 4 को न देने में कानूनी त्रुटि की है क्योंकि हीरा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/203

रघुनाथ आत्मज श्री कंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासी घाटोली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा जरिये कायममुकामान :–

1. लालचन्द पुत्र स्व0 रघुनाथ
2. राजेश पुत्र स्व0 रघुनाथ ।
3. गणेश पुत्र स्व0 रघुनाथ दत्तक पुत्र स्व0 हीरालाल ।
4. श्रीमती रतन बाई पत्नी स्व0 रघुनाथ जी जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम घांटोली तहसील रमागंजमण्डी जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. लक्ष्मी चन्द आत्मज कंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासी घांटोली तहसील रामगंजमण्ड जिला कोटा ।
2. गायत्री बाई पत्नी श्री रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी घांटोली तहसील रामगंजमण्ड जिला कोटा ।
3. राजेश पुत्र श्री रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी घांटोली तहसील रामगंजमण्ड जिला कोटा
4. इन्द्रा बाई पुत्री रामचन्द्र पत्नी राजूलाल जाति ब्राह्मण निवासी झरझनी, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ हाल निवासी घांटोली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. श्रीमती कंचन बाई पुत्री स्व0 कंवर लाल पत्नी स्व0 पूरणमल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सादडी जिला बून्दी हाल निवासी घांटोली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बी0सी0 मालवीय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 10.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 31.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 54 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम घाटोली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में खाता संख्या

ने अपने जीवनकाल में गणेश के पक्ष में दस्तावेज तहरीर किया है वह दस्तावेज वसीयत के अन्तर्गत आता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित करने का पेश किया था जिसमें प्रतिवादी क्रम 3 और 4 को पक्षकार बनाया गया । प्रतिवादी क्रम 1, 3 व 4 के द्वारा जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया जिसमें कंवर लाल के खाते की आराजी में गणेश को 1/5 हिस्से का सहखातेदार घोषित करने की प्रार्थना भी की गई और कंवर लाल की पुत्री कंचन बाई ने भी 1/5 हिस्से की घोषणा करने की प्रार्थना की थी । अधीनस्थ न्यायालय ने काउन्टर क्लेम को अंशतः स्वीकार करते हुए वादी को 1/4 हिस्सा, वादी क्रम 2 से 4 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 1 को 1/4 हिस्सा और प्रतिवादी क्रम 3 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने काउन्टर क्लेम को अंशतः स्वीकार किया है जबकि उनके द्वारा पेश की गई साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं था । तनकी का विवेचन सही रूप से नहीं किया गया है । प्रतिवादी द्वारा पेश की गई साक्ष्य का कोई खण्डन पत्रावली पर नहीं है । वादी का दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो जाने पर तनकी नम्बर 01 भी खारिज होने योग्य थी । गणेश मृतक हीरालाल का दत्तक पुत्र है । इस आशय का दस्तावेज तहरीर किया गया था जो कि बख्शीशनामा न होकर वसीयत है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इसको बख्शीशनामा मानते हुए अपंजीकृत के आधार पर अपीलान्ट गणेश को 1/5 हिस्से का सहखातेदार नहीं मानने में भूल की है । दस्तावेज की भाषा के आशय के अनुसार वह एक वसीयत है जो गणेश के पक्ष में तहरीर की गई है फिर भी काउन्टर क्लेम अंशतः स्वीकार किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी की प्रति संवत् 2054 से 2057 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 06 किता की 51 बीघा 01 बिस्वा आराजी रघुनाथ, लक्ष्मीचन्द, रामचन्द्र पुत्र कंवर लाल जाति ब्राह्मण के नाम खातेदारी में दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण संख्या 726 दिनांक 03.10.2001 से मृतक खातेदार रामचन्द्र के स्थान पर विरासत से पुत्र राजेश पुत्री इन्द्राबाई व बेवा गायत्री बाई का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ का नोट अंकित है । नकल नामान्तरकरण संख्या 24 प्रदर्श– 2, फोटो प्रति तहरीर प्रदश– 3 ए संलग्न है ।

10. बयान लालचन्द पुत्र रघुनाथ, गणेश दत्तक पुत्र हीरालाल, राजेश पुत्र रघुनाथ कराये गये है। बयानों पर पीडब्ल्यू अथवा डीडब्ल्यू नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के विभाजन का दावा पेश किया गया था जिसमें काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण क्रम 1, 3 व 4 के द्वारा पेश किया गया और उसमें यह कथन किया गया कि कंचन बाई, कंवर लाल की पुत्री है और गणेश हीरालाल का गोदपुत्र है तद्नुसार वादग्रस्त आराजी में गणेश का 1/5 हिस्सा, कंचन बाई का 1/5 हिस्सा, रघुनाथ, लक्ष्मीचन्द व रामचन्द्र के वारिस 1/5–1/5 हिस्से के सहखातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं । दिनांक 11.11.2013 को दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है और प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम हेतु आगामी तारीख दिनांक 06.01.2014 नियत की गई । काउन्टर क्लेम को अधीनस्थ न्यायालय ने अंशतः स्वीकार कर कंचनबाई को 1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया है और गणेश को गोदपुत्र अस्वीकार करते हुए उसका काउन्टर क्लेम खारिज किया है । पत्रावली में जो काउन्टर क्लेम पेश किया गया है उसमें गणेश को हीरालाल का गोदपुत्र बताया गया है और अपने इस कथन के समर्थन में तहरीर प्रदर्श– 3 ए के रूप में पेश की है । जहाँ तक गणेश के हीरालाल का गोदपुत्र होने अथवा नहीं होने का प्रश्न है इस प्रश्न को तय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है । ऐसी स्थिति में उनको गोदपुत्र मानते हुए 1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित नहीं किया जा सकता ।

12. अपीलान्ट ने अपील में यह कथन किया गया है कि हीरालाल ने गणेश के पक्ष में वसीयत तहरीर की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में उनका ऐसा कोई कथन नहीं था । अपीलान्ट अपील में अधीनस्थ न्यायालय में किये गये कथनों के विपरीत कथन करने से एस्टोप्ड हैं । यदि तर्क के लिए अपीलान्ट के कथन को सही मान भी लिया जावे तो भी पेश की गई तहरीर वसीयत के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम व भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रमाणित नहीं हुई है । अतः इस तहरीर को वसीयत मानकर अपीलान्टगण को 1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित नहीं किया जा सकता ।

13. हम अभिभाषक अपीलान्ट के इस कथन से ही सहमत नहीं हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में उनके कथन का कोई खण्डन नहीं था, इस कारण काउन्टर क्लेम पूर्णतः स्वीकार होना चाहिए था क्योंकि वादी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होता है यदि दावा सिद्ध नहीं होता है तो खण्डन नहीं होने पर भी उसे अस्वीकार किया जा सकता है । जहाँ तक तनकी नं0 01 का प्रश्न है इस तनकी को अधीनस्थ न्यायालय ने अन्य तनकीयात के विचाराधीन रहते हुए तय किया है और वादीगण को 1/3 हिस्से का सहखातेदार नहीं मानकर 1/4 – 1/4 हिस्से का सहखातेदार कंचन बाई के काउन्टर क्लेम के आधार पर घोषित किया है जो विधि सम्मत है ।

14. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा वादी क्रम 2 से 4 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 1 का 1/4 हिस्सा और प्रतिवादी क्रम 3 का 1/4 हिस्सा तय किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 31.03.2017 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 10.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17 / 203

रघुनाथ आत्मज श्री कंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासी घाटोली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा जरिये कायममुकामान :–

1. लालचन्द पुत्र स्व0 रघुनाथ
2. राजेश पुत्र स्व0 रघुनाथ ।
3. गणेश पुत्र स्व0 रघुनाथ दत्तक पुत्र स्व0 हीरालाल ।
4. श्रीमती रतन बाई पत्नी स्व0 रघुनाथ जी जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम घांटोली तहसील रमागंजमण्डी जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. लक्ष्मी चन्द आत्मज कंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासी घांटोली तहसील रामगंजमण्ड जिला कोटा ।
2. गायत्री बाई पत्नी श्री रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी घांटोली तहसील रामगंजमण्ड जिला कोटा ।
3. राजेश पुत्र श्री रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी घांटोली तहसील रामगंजमण्ड जिला कोटा
4. इन्द्रा बाई पुत्री रामचन्द्र पत्नी राजूलाल जाति ब्राह्मण निवासी झरझनी, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ हाल निवासी घांटोली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. श्रीमती कंचन बाई पुत्री स्व0 कंवर लाल पत्नी स्व0 पूरणमल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सादडी जिला बून्दी हाल निवासी घांटोली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

वाद संख्याः 30 / दावा / 2008

1. लक्ष्मी चन्द आत्मज कंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासी घांटोली तहसील रामगंजमण्ड जिला कोटा ।

2. गायत्री बाई पत्नी श्री रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी घांटोली तहसील रामगंजमण्ड जिला कोटा ।
3. राजेश पुत्र श्री रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी घांटोली तहसील रामगंजमण्ड जिला कोटा
4. इन्द्रा बाई पुत्री रामचन्द्र पत्नी राजूलाल जाति ब्राह्मण निवासी झरझनी, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ हाल निवासी घांटोली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. रघुनाथ आत्मज श्री कंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासी घाटोली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा जरिये कायममुकामान :—
   1/1. लालचन्द पुत्र स्व0 रघुनाथ
   1/2. राजेश पुत्र स्व0 रघुनाथ ।
   1/3. गणेश पुत्र स्व0 रघुनाथ दत्तक पुत्र स्व0 हीरालाल ।
   1/4. श्रीमती रतन बाई पत्नी स्व0 रघुनाथ जी जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम घांटोली तहसील रमागंजमण्डी जिला कोटा ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहीसलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3103.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।
2. यह अपील तारीख 10.05.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री बी0 सी0 मालवीय एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 31.03.2017 बहाल रखा जाता है।
3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 10.05.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

10/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा